फर्द अहकाम

न्यायालयः अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रार्थीः श्री जोरावरसिंह पिता किशोरसिंह व अन्य **विपक्षीः** श्री धुलसिंह पिता देवीसिंह व अन्य

किस्म मुकदमाः निगरानी **पत्रावली संख्याः** 02 **वर्षः** 2016 **RCMS NO**-2016/00007

क्र.स.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की
15.1.2020	पत्रावली पेश हुई। मामले मे उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151जा. दी. पर उभय पक्ष द्वारा की गई बहस का रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया। मामले मे निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. मे बहस प्रांरभ करते हुए अनुरोध किया है कि मामले मे प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत गुड़ेल मे पारित प्रस्ताव की नकल प्राप्त हुई है, जिन्हे न्यायहित मे रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151जा.दी. स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजो को रेकर्ड पर लिया जावे। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस मे कथन किया कि उक्त दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब के साथ पूर्व मे ही प्रस्तुत कर दिये है, ऐसी स्थिति मे पृथक से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151जा.दी. खारिज किया जावें। उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली के अवलोकन उपरान्त ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151जा.दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व मे ही ग्रा.प. द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत किये जा चुके है, इन्हे पृथक से प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, फिर भी चूंकि पूर्व मे ग्रा.प. द्वारा अपने जवाब के साथ उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं निगरानीकर्ता के अधिवक्ता भी अपने प्रा.पत्र के साथ उक्त दस्तावेज रेकर्ड पर रखना चाहते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151जा.दी. स्वीकार किया जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भी रेकर्ड पर रखे जाने का आदेश दिया जाता है। मामले मे विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 दी.प्र.स. पर उभय पक्ष द्वारा की गई बहस का भी राजस्व रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया व वर्णित तथ्यों पर गभीरता से मनन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता का कथन है कि विवादित सम्पत्ति के संबंध मे वाद न्यायालय सिविल न्यायालय सलुम्बर मे विचाराधीन है, जिसके प्र.स. 32/2016 एवं 22/2016 होकर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अतः उक्त प्रकरण मे अंतिम निर्णय तक इस न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखी जावें। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि सिविल न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण का इस रिवीजन से कोई संबंध नहीं हैं एवं निगरानी के पश्चात् उक्त दावा पेश हुआ हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी पट्टा निरस्त किया जा चुका है। दोनो स्वतंत्र कार्यवाही होने से विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151दी.प्र.स. खारिज किया जावें। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे आर.आर.टी. 2012(2) पृष्ठ 1265 की प्रति न्यायिक दृष्टांत के रूप मे पेश की। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 दी.प्र.स. पर उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त व रेकर्ड के अवलोकन उपरान्त स्पष्ट है कि मामले मे इसी भूमि के संबंध मे माननीय सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन हो स्थगन जारी किया होना उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी उक्त प्रकरण मे निर्णय से पूर्णतया प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति मे सिविल न्यायालय के निर्णय तक प्रकरण मे किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना उचित नही होगा। इस संबंध मे आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ 676 प्रकरण मे चस्पा होती हैं। अतः प्रकरण को सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा मे रखा जाना उचित होगा, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तक मामले को लम्बित रखा जाना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं हैं। अतः माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय तक प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि माननीय सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद के निर्णय तक निगरानी को दाखिल दफ्तर किया जाता है। उक्त प्रकरण मे निर्णय पारित होने के पश्चात् यदि उभय पक्षकार चाहे तो अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय मे पृथक से प्रा.पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात् इस निगरानी का निस्तारण उक्त निर्णय के अनुरूप करना संभव होगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.22 16:57:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: